



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1040]

नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 7, 2004/अग्रहायण 16, 1926

No. 1040]

NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 7, 2004/AGRAHAYANA 16, 1926

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 दिसम्बर, 2004

आयकर

का.आ. 1334(अ).— केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 17 की उपधारा (2) के खंड (vi) के परंतुक के खंड (2) के उपखंड (ख) के साथ पठित धारा 295 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आयकर अधिनियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आयकर अधिनियम (उनीसवाँ संशोधन) नियम, 2004 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. आयकर नियम, 1962 के नियम 3क में,-

(क) “धारा 17 के खंड (2) के परंतुक के खंड (ii) के उपखंड (ख) के प्रयोजनों के लिए किसी अस्पताल को अनुमोदित करने में” शब्दों, कोष्ठकों, अक्षरों और अंकों के स्थान पर निम्नलिखित शब्द, कोष्ठक, अक्षर और अंक रखे जाएंगे, अर्थात् :-

“ धारा 17 के खंड (2) के उपखंड (vi) के परंतुक के खंड (ii) के उपखंड (ख) के प्रयोजनों के लिए भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथिक चिकित्सा से भिन्न किसी अन्य अस्पताल को अनुमोदन करने में” ;

(ख) उपनियम (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“ (1क) धारा 17 के खंड 2 के उपखंड (vi) के परंतुक के खंड (ii) के उपखंड (ख) के प्रयोजनों के लिए भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथिक चिकित्सा के लिए किसी अस्पताल के अनुमोदन करने में मुख्य आयुक्त अपने को संतुष्ट करेगा कि केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य स्कीम हिताधिकारियों और केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथिक चिकित्सा के लिए निजी अस्पतालों के अनुमोदन के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथिक विभाग द्वारा तारीख 6 जून, 2002 के कार्यालय ज्ञापन में विनिर्दिष्ट शर्तों को अस्पताल पूरा करता है ।” ;

(ग) “उपनियम (2) में धारा 17 के खंड (2) के परंतुक के खंड (ii) के उपखंड (ख) के प्रयोजन के लिए” शब्दों, कोष्ठकों, अक्षरों और अंकों के स्थान पर निम्नलिखित शब्दों, कोष्ठक, अक्षर और अंक रखे जाएंगे ।

“ धारा 17 के खंड (2) के उपखंड (vi) के परंतुक के खंड (ii) के उपखंड (ख) के प्रयोजनों के लिए”

[अधिसूचना सं. 291/2004/फा. सं. 142/34/2004-टीपीएल]

चंद्रजीत सिंह, अवर सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खंड 3 (ii) अधिसूचना सं. का.आ. 969 (अ), तारीख 26 मार्च, 1962, द्वारा प्रकाशित किए गए थे जो समय-समय पर संशोधित किए गए थे और ऐसा अंतिम संशोधन, आयकर (अठारहवाँ संशोधन) नियम, 2004 अधिसूचना सं. का.आ. 1321(अ), तारीख 02.12.2004 द्वारा किया गया था ।